उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 02.09.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 02.09.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

महोबा पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 02.09.2025

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा, सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश-

आज दिनांकः- 02.09.2025 को बैंक व अन्य वित्तीय संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जनपद महोबा में पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपदीय पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारिओं द्वारा जनपद में संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत अभियान चलाया गया जिसके क्रम में जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाली विभिन्न बैंकों में पहुंचकर बैंको की सुरक्षा व्यवस्था को चेक किया गया व विभिन्न सुरक्षा उपकरणों की स्थिति की समीक्षा की गयी।

जनपदीय पुलिस बल द्वारा क्षेत्रअन्तर्गत संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में भ्रमणशील रहे, इस दौरान बैंक के अन्दर व बाहर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी तथा अनावश्यक रूप से खड़े व्यक्तियों को पूंछताछ कर वहाँ से हटाया गया तथा बैंक के अन्दर उपस्थित भीड़ को कतारबद्ध किया गया साथ ही बैंक के अन्दर स्थित सीसीटीवी कैमरों, वार्निंग अलार्म एवं सुरक्षा सम्बन्धी उपकरणों को परखा गया एवं शाखा प्रबन्धक से सुरक्षा बिन्दुओं पर वार्ता की गयी, इस दौरान ड्यूटी में मौजूद सुरक्षा कर्मियों को सतर्कता के साथ ड्यूटी करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, इसके साथ ही बैंकों के बाहर खड़े व्यक्तियों से पूछताछ की गयी व उन्हे अनावश्यक रुप से न खड़े होने की हिदायत दी गयी।

इसी क्रम में पुलिस टीम ने बैंक चेकिंग के दौरान बैंक आये हुए आम जनमानस से संवाद स्थापित कर उनको धोखा-धड़ी, जालसाजी, ठगी/टप्पेबाजी से बचाव हेतु जागरूक किया गया।

थाना महोबकंठ की पुलिस टीम ने 01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक घटनाओं में संलिप्त वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 02.09.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अरुण कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना महोबकंठ श्री विनोद कुमार द्वारा गठित म0उ0नि0 दीक्षा के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 148/25 धारा 75(2)/352/351(3) बीएनएस व 7/8 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त हरिओम पुत्र द्वारकाप्रसाद उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम दादरी थाना महोबकंठ जनपद महोबा को ग्राम दादरी के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.म0उ0नि0 दीक्षा
2.कां0 धर्वेन्द्र कुमार.
3.कां0 करमवीर सिंह

गिरफ्तार अभियुक्त-

हरिओम पुत्र द्वारकाप्रसाद उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम दादरी थाना महोबकंठ जनपद महोबा

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 02.09.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना अजनर की पुलिस टीम ने 02 नफर वारण्टी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक घटनाओं में संलिप्त वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 02.09.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अरुण कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना अजनर श्री सत्यपाल सिंह द्वारा गठित उ0नि0 ऋषी शुक्ला, उ0नि0 कृष्ण मुरारी मिश्रा मय हमराह कां0 अजीत कुमार यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 02 नफर वारण्टी अभियुक्त क्रमशः 1.हरदयाल पुत्र पूरन राजपूत उम्र करीब 62 वर्ष 2.अखिलेश पुत्र हरदयाल उम्र करीब 39 वर्ष निवासीगण ग्राम टिकरिया थाना अजनर जनपद महोबा सम्बन्धित सी0पी0 नं0 146/2016 धारा 323/504/506 भादवि थाना अजनर एन0सी0आर0 नं0 166/2011 में मा0 न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय महोबा द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारण्ट के अनुपालन में अभियुक्तगण उपरोक्त को ग्राम टिकरिया के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 ऋषी शुक्ला
2. उ0नि0 कृष्ण मुरारी मिश्रा
3. कां0 अजीत कुमार यादव

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1.हरदयाल पुत्र पूरन राजपूत उम्र करीब 62 वर्ष निवासी ग्राम टिकरिया थाना अजनर जनपद महोबा

2.अखिलेश पुत्र हरदयाल उम्र करीब 39 वर्ष निवासी ग्राम टिकरिया थाना अजनर जनपद महोबा

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 02.09.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना श्रीनगर की पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अवैध शस्त्र व कारतूस की बिक्री एवं परिवहन की रोकथाम तथा ऐसे अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक-02.09.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकांत गौड़ के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्रीनगर श्री जयचन्द्र सिंह द्वारा गठित उ0नि0 कन्हैयालाल पटेल व उ0नि0 दिनेश कुमार सिंह मय हमराह हे0कां0 विनोद कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त दिलीप यादव पुत्र स्व0 अमान सिंह उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम लुहेड़ी थाना श्रीनगर जनपद महोबा जिसके कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद करते हुए ग्राम इमिलिया के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 171/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

दिलीप यादव पुत्र स्व0 अमान सिंह उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम लुहेड़ी थाना श्रीनगर जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 कन्हैयालाल पटेल

2.उ0नि0 दिनेश कुमार सिंह

3.हे0कां0 विनोद कुमार

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 02.09.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना पनवाड़ी की पुलिस टीम ने 03 नफर वारण्टी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक घटनाओं में संलिप्त वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 02.09.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अरुण कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना पनवाड़ी श्री अर्जुन सिंह द्वारा गठित उ0नि0 देवेन्द्र कुमार ओझा व उ0नि0 पवन गौंड मय हमराह कां0 रवि कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 03 नफर वारण्टी अभियुक्तगण क्रमशः 1.सियाशरन उर्फ मुन्ना राजपूत निवासी ग्राम मसूदपुरा थाना पनवाडी जनपद महोबा सम्बन्धित मु0नं0 6837/2021 अपराध सं0 245/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम 2.महेश उर्फ गुल्लू पुत्र सन्तराम निवासी ग्राम मसूदपुरा थाना पनवाडी जनपद महोबा सम्बन्धित मु0नं0 1304/21 अ0सं0 63/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट 3.प्रकाश राजपूत पुत्र प्रयागीलाल निवासी ग्राम नेकपुरा थाना पनवाडी जनपद महोबा सम्बन्धित मु0नं0 08/2017 धारा 174ए भादवि0 में मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारण्ट के अनुपालन में अभियुक्तगण उपरोक्त को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 देवेन्द्र कुमार ओझा
2.उ0नि0 पवन गौड़
3.कां0 रवि कुमार

गिरफ्तार अभियुक्त – .

1.सियाशरन उर्फ मुन्ना राजपूत निवासी ग्राम मसूदपुरा थाना पनवाडी जनपद महोबा
2.महेश उर्फ गुल्लू पुत्र सन्तराम निवासी ग्राम मसूदपुरा थाना पनवाडी जनपद महोबा
3.प्रकाश राजपूत पुत्र प्रयागीलाल निवासी ग्राम नेकपुरा थाना पनवाडी जनपद महोबा

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 02.09.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

महोबा पुलिस की त्वरित कार्यवाही से बढ़ा जनविश्वास
साइबर ठगी में पीड़ित को दिलायी गयी पूरी धनराशि वापस –

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में साइबर अपराध की रोकथाम एवं स्थानीय लोगो में साइबर अपराध के प्रति जनजागरुकता लाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी श्री अरुण कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय साइबर क्राइम थाना प्रभारी निरीक्षक श्री फहीम अख्तर के नेतृत्व में साइबर थाना पुलिस टीम द्वारा साइबर अपराध की रोकथाम एवं पीड़ितों को न्याय दिलाने हेतु लगातार प्रभावी अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में आवेदक **अनिल कुमार पुत्र राजकिशोर निवासी विवेक नगर, थाना कबरई, जनपद महोबा** द्वारा वित्तीय धोखाधड़ी संबंधी ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जाँच के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि साइबर अपराधियों ने आवेदक से **₹ 85,000/- (पचासी हज़ार रुपये)** की ठगी कर ली थी।

जिसके क्रम में साइबर क्राइम थाना पुलिस टीम द्वारा त्वरित एवं समन्वित कार्यवाही करते हुए संबंधित बैंक/पेमेंट गेटवे से सम्पर्क स्थापित कर सम्पूर्ण धनराशि को सुरक्षित कराते हुए आवेदक को वापस दिलाई गई है।

अपनी मेहनत की कमाई वापस पाकर पीड़ित ने राहत और प्रसन्नता व्यक्त की तथा थाना उपस्थित होकर पुलिस अधीक्षक महोबा सहित जनपद महोबा पुलिस टीम को धन्यवाद ज्ञापित किया है एवं धन्यवाद पत्र देकर **जनविश्वास प्रकट किया है**

अपील- *"साइबर अपराध से बचाव हेतु सतर्क रहें, अजनबियों को OTP, बैंक डिटेल्स व निजी जानकारी साझा न करें। जागरूकता ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है।"*

धनराशि वापस कराने वाली टीम :-

1. प्रभारी निरीक्षक मो0 फहीम अख्तर, साइबर क्राइम पुलिस थाना जनपद महोबा
2. कां0 अमनदीप सिंह 3. कां0 सुरजीत कुमार
4. कां0 मनीष सिंह 5.कां0 संदीप यादव 6. कां0 अखिलेश कुमार

नो हेलमेट – नो फ्यूलः- आपका जीवन है अनमोल

सड़क सुरक्षा का ये है रूल, पहले हेलमेट – फिर फ्यूल

हेलमेट है कूल, तभी मिलेगा फ्यूल

जनपद महोबा में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में यातायात प्रभारी श्री सुनील कुमार सिंह एवं प्रवर्तन अधिकारी (PTO) श्री नरेन्द्र विक्रम सिंह द्वारा जनपदीय पुलिस प्रशासनिक टीम द्वारा दिनांक- 01.09.2025 को संयुक्त चेकिंग अभियान संचालित किया गया।

अभियान के तहत जनपद के सभी पेट्रोल पंपों पर **"नो हेलमेट – नो फ्यूल"** नियम का पालन सुनिश्चित कराने हेतु पेट्रोल पंप संचालकों एवं आमजन को जागरूक किया गया। शासन के निर्देशानुसार आगामी एक माह तक विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, ताकि लोग हेलमेट पहनने के प्रति प्रेरित हों और सड़क दुर्घटनाओं में प्रभावी कमी लाई जा सके।

इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध प्रवर्तनात्मक कार्यवाही भी की गई। पुलिस टीम द्वारा पेट्रोल पंप संचालकों, स्टाफ तथा दोपहिया वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के महत्व से अवगत कराते हुए "नो हेलमेट – नो फ्यूल" का पालन अनिवार्य रूप से करने हेतु प्रेरित किया गया।

जनपद महोबा पुलिस की अपील-

- कोई भी दोपहिया वाहन चलाते समय अच्छी गुणवत्ता का हेलमेट अवश्य पहनें।
- याद रखें सड़क सुरक्षा ही जीवन रक्षा है।

MAHOBA POLICE

Meticulous Investigation & Prosecution

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "Operation Conviction" के दृष्टिगत श्री प्रबल प्रताप सिंह, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा के निर्देशन में महोबा पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज दिनांक 02.09.2025 को अतिरिक्त सिविल जज (जू0डि0) महोबा द्वारा शराब पीकर राठ तिगैला पनवाड़ी पर हंगामा करने वाले अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 100/- रू0 के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया है।

विवरण निम्नवत है:-

- थाना पनवाड़ी पर पंजीकृत अभियोग 307/2009 धारा 160 भादवि से सम्बंधित अभियुक्त जगतराम पुत्र रामगोपाल राजपूत निवासी ग्राम मवई थाना राठ जनपद हमीरपुर को न्यायालय उठने तक की सजा व 100/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

कृष्ण पाल सिंह
अभियोजन अधिकारी

हे0का0 लालता प्रसाद
पैरोकार- थाना कोतवाली नगर

MAHOBA POLICE

Meticulous Investigation & Prosecution

अवैध चुनाव सामग्री वितरण करने के सम्बन्ध में अभियुक्त को 2000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "Operation Conviction" के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में महोबा पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज दिनांक 02.09.2025 को जे.एम.कोर्ट महोबा द्वारा चुनाव में अवैध सामग्री वितरण करने के अभियोग में परीक्षणोपरांत नामित अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 2000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

विवरण निम्नवत है:-

थाना श्रीनगर में पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 150/2012 धारा 177(H)/188 भादवि से सम्बंधित अभियुक्त शेषनाथ पाण्डे पुत्र रामशंकर निवासी चित्रकूट चौगालिया सीतापुर थाना कर्वी जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 2000/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।